भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1035

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश

1035. श्रीमती विप्लव ठाकूर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आपदा की स्थितियों का सामना करने हेतु छात्रों को आपदा प्रबंधन तथा तैयारी में शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ सर्वाधिक आपदा प्रभावित राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई है;

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क): से (ग): जी, नहीं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने इस प्रकार के कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं। तथापि, आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति (एनपीडीएम) (पैरा 10.5.1) के अनुसार, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अपने संबंधित विशेषशता प्राप्त क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन से संबंधित समसामयिक ज्ञान शामिल करने के लिए वास्तु, यांत्रिकी, भू-विज्ञान तथा औषध विज्ञान में स्नातक और परा-स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों की पुनरीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय विश्वविद्यालयों तथा उत्कष्ट तकनीकी संस्थानों में पृथक शैक्षणिक वर्ग के रूप में आपदा प्रबंधन के विकास को बढ़ावा देगा।

इसके अतिरिक्त, एनपीडीएम (पैरा 10.6.1) में यह प्रावधान है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के माध्यम से पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंध विषय की शुरूआत सभी स्कूलों में उनके माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के माध्यम से की जाएगी। राज्य सरकारें भी राज्य स्कूल बोर्डों के माध्यम से आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम को शामिल करना सुनिश्चित करेंगी। शिक्षा संबंधी विषय सामग्री कौशल आधारित प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध तथा नेतृत्व के गुण विकसित करेगी। आपदा संबंधी शिक्षा का लक्ष्य स्कूल आपदा प्रबंधन संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के अतिरिक्त तत्परता तथा सुरक्षा की संस्कृति का विकास करना होगा।

(ख) और (ग): उपर्यूक्त(क) के उत्तर के आलोक में, प्रश्न नहीं उठता है।

*****